

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

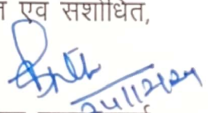
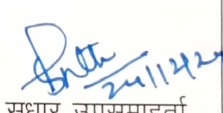
सी०एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या-83/2024-25

—: आदेश :—

अनुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
24/12/2024	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) 1. बुद्धेश्वर महतो, 2. संतोष महतो, दोनों का पिता-स्व० रंगलाल महतो उर्फ रामलाल महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-अंधरतेलिया, थाना-चास(मु०), जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-रघुनाथ चक के अन्तर्गत थाना नं०-94, पुराना खाता नं०-13, नया-30, पुराना प्लॉट नं०-379, नया-583, रकवा-08 डी० भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 489/भू०सु०, दिनांक 14.10.2024 के द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 2359 दिनांक 06.12.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :- 1. बिक्री किये जाने वाले भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान रंगलाल महतो दीगर के नाम से दर्ज है। 2. भूमि खतियान से प्राप्त है, खतियानी रैयत से विक्रेता का संबंध पिता है। 3. पंजी II में रैयत से विक्रेता का संबंध पिता है। 4. विक्रेता-ग्राम-अंधरतेलिया, थाना-चास(मु०), जिला-बोकारो एवं क्रेता-ग्राम-अंधरतेलिया, थाना-चास(मु०), जिला-बोकारो का मूल निवासी है। 5. लागू नहीं है। 6. विक्रेता एवं क्रेता (SC & OBC के मामले में) एक ही जिला अन्तर्गत है एवं बिक्री की जानेवाली भूमि उसी जिला के अन्तर्गत है। 7. विक्रेता जाति के कुर्मी(महतो) एवं क्रेता जाति के नाई(हजाम) है, जो अत्यंत पिछड़ी जाति के श्रेणी में आते हैं। 8. बिक्री की जानेवाली भूमि विवाद रहित है। 9. बिक्री की जानेवाली भूमि सैरात/भूदान/गैरमजरूआ आम व खास/कब्रिस्थान/सरना/मसना/धार्मिक-स्थल/अधिग्रहण इत्यादि से बाहर है। 10. भूमि बिक्री के पश्चात् विक्रेता के पास 1 एकड़ 17 डी० जमीन शेष बचता है। 11. बिक्री हेतु आवेदित प्लॉटों में पंजी II के अनुसार 1 एकड़ 10 डी० भूमि है। 12. भूमि बिक्री के उपरान्त विक्रेता भूमिहीन नहीं होगा। 13. विक्रेता द्वारा बिक्री की जानेवाली भूमि खतियान से प्राप्त है। 14. बिक्री की जानेवाली भूमि का जमाबंदी संख्या 43/1 है जमाबंदी रंगलाल महतो दीगर के नाम से दर्ज है। लगान रसीद 2024-25 तक निर्गत है। (ऑनलाईन जमाबंदी के भाग सं०-01, पृष्ठ सं०-43) में है। 15. विक्रेता का वंशावली अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित है। 16. स्थल पर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। 17. बिक्री की जानेवाली भूमि का किस्म तालाब है। 18. आवेदक को थाना नं०-94, पुराना खाता नं०-13, नया-30, पुराना प्लॉट नं०-379, नया-583, रकवा-08 डी० भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई। 19. प्रतिवेदन के साथ आम सूचना तामिला प्रतिवेदन संलग्न है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० क्रमशः JHLRCO/2023/35883 दिनांक 28.01.2023, JHLRCO/2023/35840 दिनांक— 28.01.2023 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० क्रमशः JHLRCO/2023/30995 दिनांक 28.01.2023, JHLRCO/2023/35548 दिनांक— 28.01.2023 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत आवेदक (विक्रेता) 1. बुद्धेश्वर महतो, 2. संतोष महतो, दोनों का पिता—स्व० रंगलाल महतो उर्फ रामलाल महतो, जाति—कुर्मी, ग्राम—अंधरतेलिया, थाना—चास(मु०), जिला—बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा—रघुनाथ चक के अन्तर्गत थाना नं०—94, पुराना खाता नं०—13, नया—30, पुराना प्लॉट नं०—379, नया—583, रकबा—08 डी० भूमि (क्रेता) 1. गोपाल चन्द्र प्रमाणिक, 2. राकेश प्रमाणिक, दोनों के पिता मनबोध प्रमाणिक, जाति—नाई(हजाम), ग्राम—अंधरतेलिया, थाना—चास(मु०), जिला—बोकारो को बिक्री करने की <u>अज्ञाति</u> दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित,  भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास।  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।	